मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक 1391/psfood/2022 भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल, 2022

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर्स,
   मध्यप्रदेश।

विषय- मध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के छात्र-छात्राओं को समारोहपूर्वक नि:शुल्क मूंग का वितरण कराने बाबत्।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क मूंग वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा एवं सभी जिलो में उचित मूल्य दुकानों स्तर पर भी समारोहपूर्वक छात्र-छात्राओं को मूंग का वितरण किया जाना है। समारोह के आयोजन की दिनांक के संबंध में पृथक से अवगत कराया जाएगा। मूंग वितरण कार्यक्रम की रूपरेखा निम्नानुसार है :-

1. कार्यक्रम का आयोजन -

1.1 सभी जिले में उचित मूल्य दुकान स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिलेवार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के संबंध में पृथक से सूचित किया जाएगा।

1.2 माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का प्रसारण सभी उचित मूल्य दुकानों पर किया जाएगा।

1.3 उचित मूल्य दुकानों पर योजना संबंधी गीत एवं वीडियों भी चलाया जाए।

1.4 कार्यक्रम में उचित मूल्य दुकान से संलग्न प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के पालक शिक्षक संघ के सदस्यों, उचित मूल्य दुकान की सतर्कता समिति के सदस्यों, गणमान्य नागरिक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए।

1.5 कार्यक्रम में माननीय अतिथि के कर कमलों से छात्र/छात्राओं अथवा उनके अभिभावकों को थैले में मूंग का वितरण किया जाएगा।

1.6 प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जिसके द्वारा दुकान पर आयोजन संबंधी समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं का परिवेक्षण किया जाएगा।

1.7 प्रत्येक दुकान पर कम से कम 50 छात्र-छात्राओं की सूची तैयार की जाए, जिनकों समारोह में मूंग एवं थैले का वितरण किया जाए।

1.8 जिन उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं के पास एक से अधिक दुकाने हैं, उन दुकानों पर नियुक्त सहायक सेल्समेन अथवा दुकान पर नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा कार्यक्रम की व्यवस्था एवं संचालन कराया जाए। कार्यक्रम हेतु नियत दिनांक को सभी दुकानों पर आयोजित किया जाए।

2. उचित मूल्य दुकान पर कार्यक्रम हेतु की जाने वाले व्यवस्थाऐं-

2.1 प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर मध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत वितरण किये जाने वाले मूंग का फ्लेक्स/बैनर लगाया जाए, जिसका प्रारूप आपकों पृथक से प्रेषित किया जाएगा।

2.2 उचित मूल्य दुकान पर अतिथियों एवं छात्र/छात्राओं को बैठने हेतु कुर्सी, टेन्ट, पंखे, माईक, पीने के पानी आदि की व्यवस्था की जाए।

2.3 उचित मूल्य दुकान की साफ-सफाई एवं राशन सामग्री व्यवस्थित रूप से रखी जाए।

3. **उचित मूल्य दुकानवार मूंग का आवंटन -**

3.1 प्राथमिक शाला के छात्र-छात्राओं हेतु 10 किलोग्राम एवं माध्यमिक शाला के छात्र-छात्राओं को 15 किलोग्राम प्रति छात्र के मान से मूंग वितरण करने हेतु दुकानवार आवंटन जारी किया गया है, जो कि अवलोकन हेतु AePDS पर (Allotment- Scheme wise Allotment- माह मार्च, 2022 में ऑनलाईन का एवं अप्रैल, 2022 में ऑफलाईन का) पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

3.2 सभी छात्र-छात्राओं के पालक NFSA के पात्र हितग्राही न होने के कारण मूंग का आवंटन ऑनलाईन एवं ऑफलाईन पृथक-पृथक जारी किया गया है :-

- ऑनलाईन- जिन छात्र-छात्राओं के पालक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित है एवं नियमित रूप से राशन प्राप्त कर रहे है, ऐसे लगभग 35 लाख छात्र-छात्राओं के लिए मूंग का आवंटन आनलाईन पीओएस मशीन से वितरण हेतु जारी किया गया है। इन छात्र/छात्राओं को मूंग का वितरण उनके पालक द्वारा जिन उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त किया जा रहा है। उन दुकानों से ही मूंग के वितरण के लिए संलग्न किया गया है।
- **ऑफलाईन (वितरण पंजी से)-** जिन छात्र-छात्राओं के पालक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों में सम्मिलित नहीं है उनको मूंग का वितरण संबंधित शाला के प्राधिकृत शिक्षक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र (टोकन) के आधार पर वितरण करने हेतु आवंटन जारी किया गया है। इन छात्र/छात्राओं को मूंग का वितरण हेतु उनके शाला में मध्यान्ह भोजन पकाने वाले महिला स्व-सहायता समूह द्वारा जिन उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त किया जा रहा है, उसी दुकान से संलग्न किया गया है।

4. **उचित मूल्य दुकानों पर मूंग का प्रदाय -**

4.1 MPSCSC के प्रदाय केन्द्रों तक आवंटन अनुसार मूंग का प्रदाय जिला विपणन अधिकारी राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) द्वारा कराया जाएगा। सुनिश्चित किया जाए कि सभी प्रदाय केन्द्रों पर आवंटन अनुसार मूंग की उपलब्धता हो जाए।

4.2 मूंग की आवंटित कुल मात्रा (आफलाईन एवं आनलाईन) को SCM पोर्टल पर प्रदर्शित कराया गया है, जिसके DO एवं TO प्रदाय केन्द्र प्रभारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

4.3 प्रदाय केन्द्र से आवंटन अनुसार उचित मूल्य दुकान पर मूंग का प्रदाय द्वार प्रदाय योजना अंतर्गत नियुक्त परिवहनकर्ता द्वारा किया जाएगा, इसका दायित्व जिला प्रबंधक, MPSCSC का होगा।

4.4 परिवहनकर्ता द्वारा मूंग के ऑनलाईन आवंटन की पावती पीओएस मशीन से एवं ऑफलाईन आवंटन की पावती देयक पर विक्रेता से प्राप्त की जाए जिसे मूंग प्रदाय उपरांत प्रदाय केन्द्र प्रभारी के पास जमा की जाए।

4.5 उचित मूल्य दुकानों पर मूंग के प्रदाय के समय प्रदाय केन्द्र पर गुणवत्ता की जांच आवश्यक रूप से कर ली जाए एवं FAQ गुणवत्ता का मूंग ही वितरण हेतु प्रेषित किया जाए।

5. **मूंग का वितरण -**

5.1 छात्र-छात्राओं/अभिभावकों को मूंग का वितरण पीओएस मशीन से अथवा टोकन के आधार पर उचित मूल्य दुकान से ही कराया जाए।

5.2 दुकानवार एवं स्कूलवार तथा आफलाईन एवं आनलाईन मूंग प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं की सूची AePDS पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। स्कूल के प्रधान अध्यापक एवं उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा इस सूची का प्रिंट निकालकर दुकान एवं स्कूल में चस्पा की जाए एवं छात्र/छात्राओं को मूंग प्राप्त करने हेतु अधिकृत उचित मूल्य दुकान की जानकारी दी जाए।

5.3 छात्र-छात्राओं को उचित मूल्य दुकान से समारोहपूर्वक मूंग का नि:शुल्क वितरण प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी दिनांक से आपको पृथक से अवगत कराया जाएगा।

5.4 प्राथमिक शाला के छात्र-छात्राओं को 10 किलोग्राम एवं माध्यमिक शाला के छात्र-छात्राओं को 15 किलोग्राम प्रति छात्र के मान से मूंग का वितरण निर्धारित थैले में किया जाना है।

5.5 टोकन (ऑफलाईन) के आधार पर मूंग का वितरण निम्नानुसार कराया जाए -

- ऑफलाईन वितरण हेतु नियत छात्र-छात्राओं को मूंग प्राप्त करने के लिए उनकी शाला के प्राधिकृत शिक्षक द्वारा मूंग प्राप्त करने हेतु निर्धारित टोकन जारी किया जाए, जिसका प्रारूप परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।
- टोकन में शाला का नाम, छात्र का नाम, शाला का प्रकार, मूंग की पात्रता, समग्र आईडी एवं दुकान का नाम का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाए।
- छात्र-छात्राओं अथवा परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उचित मूल्य दुकान से टोकन के आधार पर मूंग प्राप्त किया जा सकेगा। मूंग प्राप्त करने पर टोकन को उचित मूल्य दुकानदार के पास जमा करना होगा।
- छात्र-छात्राओं/अभिभावक को उचित मूल्य दुकान से मूंग प्राप्त करने के लिए टोकन एवं पहचान स्वरूप समग्र परिवार आईडी/आधार कार्ड लेकर जाना होगा।
- उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा टोकन के आधार पर मूंग वितरण हेतु पंजी संधारित की जाए, जिसमें छात्र का नाम, शाला का नाम एवं मूंग प्राप्त करने वाले के नाम तथा हस्ताक्षर प्राप्त किये जाए।
- विक्रेता द्वारा टोकन एवं वितरण पंजी आपने रिकार्ड में सुरक्षित रखी जावे ताकि भविष्य में मूंग वितरण का सत्यापन सुविधाजनक तरीके से किया जा सके।

5.6 **पीओएस मशीन से मूंग वितरण की व्यवस्था -**

- NFSA अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों के छात्र/छात्राओं अथवा उनके परिवार के सदस्यों को पीओएस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर मूंग का वितरण किया जाएगा।
- मूंग वितरण उपरांत पीओएस मशीन से जारी पावती आवश्यक रूप से हितग्राही को उपलब्ध कराई जाए एवं वितरित मात्रा की जानकारी SMS के माध्यम से भी हितग्राही को दी जाएगी।
- उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा मूंग की प्राप्ति एवं वितरण की पृथक से स्टाक पंजी संधारित की जाए, जिसमें आनलाईन एवं आफलाईन वितरित मूंग का पृथक-पृथक दिनांकवार उल्लेख किया जाए।

6. **थैले का प्रदाय एवं वितरण -**

6.1 प्राथमिक शाला के छात्र/छात्राओं को पिस्ता रंग के एवं माध्यमिक शाला के छात्र/छात्राओं को पीच रंग के टाईप ए नान वुवन केरी बैग में मूंग का वितरण कराया जाए। प्रति छात्र/छात्रा के मान से एक बैग दिया जाना है।

6.2 प्रदाय केन्द्र अंतर्गत आने वाली उचित मूल्य दुकानों से संलग्न छात्र/छात्राओं की संख्या के मान से थैले का प्रदाय राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा नियत प्रदायकर्ता के माध्यम से कराया जाए।

6.3 प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकानों तक थैले का प्रदाय ASO/JSO/प्रदाय केन्द्र प्रभारी द्वारा कराया जाए। उचित मूल्य दुकानों पर समय-सीमा में थैले प्रदाय करने हेतु सभी विक्रेताओं को प्रदाय केन्द्र पर आमंत्रित कर पात्रता अनुसार थैले उपलब्ध करा दिए जाए।

6.4 जिले में थैले की उपलब्धता अनुसार समानुपातित रूप से सभी उचित मूल्य दुकानों पर दिनांक 15.04.2022 तक अनिवार्य रूप से थैले का प्रदाय सुनिश्चित किया जाए।

6.5 प्रदाय थैले का उचित मूल्य रूप से रिकार्ड संधारण किया जाए।

7. **वित्तीय व्यवस्था -**

7.1 समारोहपूर्वक मूंग एवं थैले के वितरण हेतु आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम हेतु प्रति दुकान अधिकतम राशि रू. 2000 की प्रतिपूर्ति राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा की जाएगी।

7.2 समारोह पर होने वाले व्यय के देयक एवं विधिवत रिकार्ड संधारित किया जाए।

8. प्रचार-प्रसार -

8.1 मूंग वितरण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडियां के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए।

8.2 माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का सीधे प्रसारण के लिए प्रत्येक उचित मूल्य दुकान/कार्यक्रम स्थल पर एक टीवी की व्यवस्था की जाए, जिसमें दूरदर्शन मध्यप्रदेश तथा प्रदेश के क्षेत्रीय टीवी चैनलों के प्रसारण संबंधी व्यवस्था हो।

8.3 एनआईसी के द्वारा कार्यक्रम का वेबकास्ट किया जाएगा, जिसकी लिंक सभी को साझा की जाएगी, उस पर अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए।

9. विभागवार दायित्व -

9.1 मूंग एवं थैले के वितरण हेतु की जाने वाली विभिन्न कार्यवाही का दायित्व निम्न अधिकारियों का होगा -

क्र.	जिला अधिकारी	विभाग	दायित्व	समय-सीमा
1.	जिला विपणन अधिकारी	मार्कफेड	MPSCSC के प्रदाय केन्द्रों पर आवंटन अनुसार मूंग का प्रदाय	12.04.2022
2.	जिला प्रबंधक	MPSCSC	प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकानों पर मूंग का प्रदाय	13.04.2022
3.	जिला विपणन अधिकारी	मार्कफेड	प्रदाय केन्द्रों पर थैले का प्रदाय	14.04.2022
4.	DMO, ASO/JSO, प्रदाय केन्द्र प्रभारी	MPSCSC, मार्कफेड एवं खाद्य	उचित मूल्य दुकानों पर थैले का प्रदाय	15.04.2022
5.	प्राचार्य द्वारा अधिकृत शिक्षक	स्कूल शिक्षा विभाग	छात्र/छात्राओं को टोकन जारी करना	14.04.2022
6.	जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी	खाद्य विभाग	उचित मूल्य दुकानों पर समारोह का आयोजन	दिनांक पृथक से सूचित

उक्तानुसार कार्यवाही समय-सीमा में कराना सुनिश्चित किया जाए।

(रश्मि अरूण शमी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पृ. क्रमांक 1392/psfood/2022

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश।
2. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
4. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त मध्यप्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग।
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ।
9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन।
10. संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय।
11. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय।
12. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन।
13. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं, मध्यप्रदेश।
14. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक(अपेक्स बैंक)।
15. समस्त मण्डल प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ।
16. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी मध्यप्रदेश।
17. समस्त जिला विपणन अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ।
18. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग।

(रश्मि अरूण शमी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

परिशिष्ट-अ

(ऑफलाईन मूंग वितरण हेतु टोकन का प्रारूप)

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अंतर्गत थैले सहित मूंग का वितरण

1. छात्र/छात्रा का नाम .... कक्षा ....
2. पालक का नाम ....
3. स्कूल का नाम .... पता ....
4. मूंग की पात्रता .... किलोग्राम, समग्र परिवार आईडी ....
5. संबंधित उचित मूल्य दुकान का नाम ....
6. जारी दिनांक ....

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर टोकन जारी करने वाले शिक्षक का नाम ....

हस्ताक्षर (मय सील) ....